an>

Title: Need to give arrears to sugarcane growers in the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने पूरे देश के गन्ना किसानों का जो वर्ष 2013-14 का बकाया मूल्य है, उसके संबंध में मुझे बोलने की अनुमति दी हैं, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

पूरे देश में गन्ना किसानों का 10,541 करोड़ रूपया वर्ष 2013-14 सत्र का बाकी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 119 चीनी मिलों पर करीब 7,465 करोड़ रूपया बकाया हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य की चीनी मिलों के मालिक कह रहे हैं कि अब हम अगले साल से पेराई सत्र शुरू नहीं करेंगे। यह एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार कहती है कि हम गन्ने के मूल्य का भुगतान करायेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। तीन करोड़ लाख टन चीनी पड़ी है, अगर उसको बेचने की सरकार कोशिश कर ले तो निश्चित तौर से नौ हजार करोड़ रूपए उस मूल्य से आ जाएंगे, जिससे हम सात हजार पांच सौ कुछ करोड़ रूपए किसानों का बकाया दे सकते हैं। किसानों को उनका गन्ना मूल्य न मिलने से उनके सामने कई दिक्कतें हैं, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही हैं, उनकी बेटियों के हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, बच्चे की फीस दाखिल नहीं हो रही है, वह अपने बूढ़े बाप का इलाज मेडिकल कॉलेज में नहीं करा पा रहा है। क्योंकि नगदी फसल केवल गन्ना है और अगर किसानों की मेहनत का गन्ना उन मिलों को दे दें और एक साल तक उनको पैसा न मिले, वह केन यूनियन का चक्कर लगाये, चीनी मिलों का चक्कर लगाये, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार की तरफ से कोई रेस्पांड हो जाए कि आखिर इन किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कैसे होगा? शुगर केन कंट्रोल एक्ट में अगर 15 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान न हो तो उस पर दस प्रतिशत ब्याज दिया जाना चाहिए। ब्याज की बात छोड़िए, किसानों को मूलधन नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष जी आप मां हैं, मां की तरह से आप कृषि का, किसान का दर्द समझ सकती हैं। उस दर्द की मैं व्याख्या कर रहा हूं कि सरकार कम से कम इसका संज्ञान ले और भुगतान कराने की सुनिश्चित कार्रवाई हो।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

13.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen

of the Clock.

14.01 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at One Minute

past Fourteen of the Clock.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON : The House will now take up Matters under Rule 377.

Shri Ramesh Bidhuri -- Not present

Dr. Sakshi Swami Maharaj -- Not present